भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 41

उत्तर देने की तारीख 21 जुलाई, 2025

सोमवार, 30 आषाढ़, 1947 (शक)

कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण का प्रभाव

†41. **श्री बापी हलदर:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय श्रम बाजार में कौशल की कमी के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक प्रशिक्षित युवाओं का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण के प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का उक्त योजना को और अधिक प्रभावी बनाने तथा रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी गैर-व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रमों में कौशल विकास से संबंधित कम से कम एक पाठ्यक्रम को अनिवार्य बनाने का विचार है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ख): समय-समय पर कौशल अंतराल अध्ययन किए जाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक कौशल और कौशल अंतराल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे अध्ययन उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से सरकार के हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा, ज़िला कौशल समितियों (डीएससी) को ज़मीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत नियोजन और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए ज़िला कौशल विकास योजनाएँ (डीएसडीपी) तैयार करने का

दायित्व सौंपा गया है। डीएसडीपी रोज़गार के अवसरों वाले क्षेत्रों के साथ-साथ ज़िले में कौशल की संबंधित माँग की पहचान करती हैं और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का मानचित्रण करती हैं। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में चिन्हित कौशल अंतरालों को पाटने के लिए डिज़ाइन और कार्यान्वित किए जाते हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के माध्यम से सात उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर राष्ट्रीय कौशल अंतराल अध्ययन किया ताकि क्षेत्र-विशिष्ट कौशल मांगों का विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत पद्धति स्थापित की जा सके। सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के हिस्से, श्रमिकों की क्षेत्रीय हिस्सेदारी, इनपुट-आउटपुट विश्लेषण से उभरने वाले आय और रोजगार गुणक और उभरते हुए क्षेत्रों के आधार पर विस्तृत मांग विश्लेषण के लिए सात क्षेत्रों का चयन किया गया था। इन सात (07) क्षेत्रों में (i) अनाज, फलीदार फसलों और तिलहन की खेती; (ii) मवेशी और भैंसों का पालन; (iii) वस्त्रों की बुनाई; (iv) मोटर वाहनों, मोटर वाहनों के पुर्जों और सहायक उपकरणों का निर्माण; (v) सौर ऊर्जा और अन्य अपारंपरिक स्रोतों का उपयोग करके बिजली उत्पादन; (vi) विशेषज्ञता प्राप्त भंडारो में भोजन, कपड़े, जूते और चमड़े से संबंधित वस्तुओं की खुदरा बिक्री और मोटर वाहनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत और; (vii) कंप्यूटर प्रोग्रामिंग गतिविधियां शामिल हैं।

(ग): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनःकौशलीकरण और कौशलोन्नायन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित करना है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर दिनांक 30 जून, 2025 तक प्रशिक्षित उम्मीदवारों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ) से (ङ): कौशल विकास योजनाओं के प्रभाव का आकलन उनके तृतीय पक्ष द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। एमएसडीई की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 में किया गया था। अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि †वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित और अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में रखे गए और आरपीएल घटक के अंतर्गत उन्मुख 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को या तो अधिक वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने अप्रमाणित समकक्षों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।

एमएसडीई की अन्य योजनाओं के संबंध में, तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्टों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति या आजीविका में सुधार के संदर्भ में सफलता का उल्लेख किया गया है। इनका संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

जेएसएस: वर्ष 2020 में जेएसएस योजना के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने उन लाभार्थियों की घरेलू आय को लगभग दोगुना करने में मदद की है जिन्हें जेएसएस प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला है या वे स्वरोजगार कर रहे थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस योजना की उपयोगिता इस तथ्य से और भी स्पष्ट होती है कि 77.05% लाभार्थी प्रशिक्षुओं ने अपना व्यवसाय बदल लिया है। अध्ययन में यह भी पुष्टि की गई है कि इस योजना में कौशल विकास का मुख्य उद्देश्य स्व-रोज़गार पर केंद्रित है।

एनएपीएस: वर्ष 2021 में किए गए एनएपीएस के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि इस योजना ने संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं की रोज़गार क्षमता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है, और विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षुओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। योजना के नए संस्करण में, सरकार के हिस्से को सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में सुव्यवस्थित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सिफारिश की गई थी।

आईटीआई: एमएसडीई द्वारा 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्णों में से 63.5% को रोजगार मिला (जिनमें से 6.7% स्व-नियोजित हैं)।

(च): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने पर ज़ोर देती है। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को एक व्यापक क्रेडिट संचयन एवं हस्तांतरण ढांचे के रूप में विकसित किया गया है जिसमें प्राथमिक, स्कूली, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण शामिल हैं। एनसीआरएफ विभिन्न आयामों, जैसे शैक्षणिक, व्यावसायिक कौशल और अनुभवात्मक शिक्षा, जिसमें अर्जित प्रासंगिक अनुभव और दक्षता/पेशेवर स्तर शामिल हैं, में सीखने के क्रेडिटीकरण को एकीकृत करता है।

छात्रों/ शिक्षार्थियों की रोज़गार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से, शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के माध्यम से भारतीय युवाओं को कार्यस्थल पर प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करता है। इस योजना के तहत, नए स्नातकों, डिप्लोमा धारकों और डिग्री प्राप्त शिक्षुओं को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने स्नातकों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अध्ययन के दौरान व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने हेतु उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा शिक्षुता-आधारित डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

अनुलग्नक

'केवीवाई के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण का प्रभाव' के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के भाग (ग) के उत्तर से संबंधित अनुलग्नक

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत शुरुआत से दिनांक 30 जून, 2025 तक प्रशिक्षित/उन्मुख उम्मीदवारों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	प्रशिक्षित/अभिमुख
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5,501
आंध्र प्रदेश	5,27,676
अरुणाचल प्रदेश	98,157
असम	8,39,371
बिहार	7,59,846
चंडीगढ़	28,009
छत्तीसगढ	2,04,474
दिल्ली	5,26,790
गोवा	10,484
गुजरात	4,71,538
हरियाणा	7,62,041
हिमाचल प्रदेश	1,76,021
जम्मू एवं कश्मीर	4,29,204
झारखंड	3,14,048
कर्नाटक	6,05,147
केरल	2,74,550
लद्दाख	4,076
लक्षद्वीप	390
मध्य प्रदेश	12,13,250
महाराष्ट्र	13,31,385
मणिपुर	1,14,910
मेघालय	58,706
मिजोरम	44,147
नागालैंड	54,013
ओडिशा	6,02,124
पुदुचेरी	35,491
पंजाब	5,59,406
राजस्थान	14,06,943

सिक्किम	19,479
तमिलनाडु	8,85,134
तेलंगाना	4,64,107
दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव	11,842
त्रिपुरा	1,59,920
उत्तर प्रदेश	25,06,438
उत्तराखंड	2,51,815
पश्चिम बंगाल	6,50,830
कुल	**1,64,07,263**

*****